

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 289 /11-सी-FP/UP/Road/41235/2019, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 10, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हमीरपुर में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग-21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण में प्रभावित 49.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 261.1 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/41235/2019


सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/३८/२०२०/एफ०सी०/६७३, दिनांक 15.06.2020 एवं उ०प्र० शासन का पत्रांक-76/81-2-2020-800(02)/2020, दिनांक 30.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक-432/33-1, दिनांक 06.08.2020 एवं पत्रांक-174/33-1, दिनांक 15.07.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय
10/8

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Road/41235/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
3. अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, हमीरपुर।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।